LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, February 09, 2026 / Magha 20, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, February 09, 2026 / Magha 20, 1947 (Saka)

CONTENTS PAGES

CONGRATULATIONS TO INDIA UNDER - 19 CRICKET TEAM ON WINNING WORLD CUP	1
ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 121)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 122 – 140)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1381 – 1558, 1560 – 1581, 1583 – 1607, 1609, 1610)	51 – 280

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, February 09, 2026 / Magha 20, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, February 09, 2026 / Magha 20, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 92 & 309 - 10
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	293 - 308
Shri Ananta Nayak	293
Shri Ganesh Singh	294
Shri Jashubhai Bhilubhai Rathva	294
Shir Ashish Dubey	295
Dr. Rajesh Mishra	295
Shri Anup Sanjay Dhotre	296
Shri Pratap Chandra Sarangi	296
Shrimati Anita Subhadarshini	297
Shrimati Smita Uday Wagh	297
Shrimati Bharti Pardhi	298
Shri Anurag Singh Thakur	298
Shri K. C. Venugopal	299
Shri Manoj Kumar	299
Shri Kodikunnil Suresh	300
Dr. Mallu Ravi	300
Shri Benny Behanan	301

Shri Pushpendra Saroj	**302**
Shri Naresh Chandra Uttam Patel	**302**
Shri Kirti Azad	**303**
Dr. Sharmila Sarkar	**304**
Dr. Ganapathy Rajkumar P.	**305**
Shri Appalanaidu Kalisetti	**306**
Shri Kaushalendra Kumar	**306**
Shri Y. S. Avinash Reddy	**307**
Shri Amra Ram	**307**
Shri Mohmad Haneefa	**308**
…	**311 - 16**

xxxx

(1100/NK/GTJ)
1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी, 2026 को ज़िम्बाब्वे के हरारे में आयोजित फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप-2026 जीत कर देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल, दृढ़संकल्प, अनुशासन तथा टीम वर्क का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी इस उपलब्धि से देश भर के युवाओं को उत्कृष्टता प्रदान करने की प्रेरणा मिली है। यह सभा भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई देती है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। इससे आने वाले समय में हमारे देश के युवा खिलाड़ियों को और प्रेरणा मिलेगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नम्बर 121

… (व्यवधान)

(Q. 121)

SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): Question No. 121…. (*Interruptions*)

DR. SUKANTA MAJUMDAR: Sir, a statement is laid on the Table of the House. … (*Interruptions*)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा। यह सदन सभी को अपनी बात रखने का अवसर देगा। अभी प्रश्न काल के अंदर उनका प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह प्रश्न काल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे तब उनको बोलने का अवसर देंगे। हम बोलने का अवसर देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से बोलने के लिए अवसर दिया जाता है, हम अवसर देंगे, आप निश्चिंत रहें। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। मैंने कहा है कि पहले बजट पर चर्चा करें, आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब बजट पर चर्चा हो उस समय अपनी बात को रखें, बजट पर चर्चा करते समय हम सभी को मौका देंगे, माननीय सदस्य सभी को अवसर मिलता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह सदन आपका है, आपको हमेशा बोलने का अवसर मिला है। जो समय आवंटित होता है, उसमें आपको बोलने का अवसर मिलेगा, बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न काल में केवल प्रश्न काल चलता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल माननीय सदस्यों का समय होता है, मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बजट पर चर्चा करें, मैं आपको बोलने का पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित हैं, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोलें या कोई और बोलें, यह आपको तय करना है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सदन सभी माननीय सदस्यों के अपने विचार और अभिमत रखने के लिए है।

… (व्यवधान)

(pp. 3-30)

माननीय अध्यक्ष: यह सदन सभी के लिए है। सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखें। सहमति-असहमति, तर्क और संवाद इस संसद की हमेशा मर्यादा रही है, लेकिन सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल के अंदर कभी किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिलता है। प्रश्न काल में केवल प्रश्न काल का समय होता है, आप जीरो ऑवर या बजट भाषण के समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे।

... (व्यवधान)

1104 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

(1105/KDS/HDK)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? आप सदन को बाधित करना चाहते हैं। आपको यदि किसी विषय पर चर्चा करनी हो, बात-चीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा-संवाद करें, सहमति-असहमति दें, सार्थक चर्चा करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं। सबको बोलने का अवसर है। नियम-प्रक्रिया से किसी भी माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोका जाता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बजट पर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें। सदन आपका है, लेकिन सदन में नियम-प्रक्रियाओं से बोला जाता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप प्रश्न-काल नहीं चलाने देना चाहते हैं? सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

1106 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/CS/PS)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

.....

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, माननीय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी।

THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2024-2025.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2024-2025.

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958:-

(i) The National Monuments Authority Heritage Bye-Laws, 2025 of the Protected Monument "Saumyanatha Temple, Nandalur (now Nandalur Mandal), Rajampet, District – Cuddapah (now Annamayya), Andhra Pradesh."

(ii) The National Monuments Authority Heritage Bye-Laws, 2025 of the Protected Monument "Kailasanathaswami temple at Salabogam temple Poramboke S.No.18-B, District-Kanchipuram (Kancheepuram), Tamil Nadu."

(iii) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2025 of the Protected Monument "Tomb of Sheikh Kabirud-Din also known as Rakabwala Gumbad in Field No. 84 min, situated at Sarai Shahji property of Thoks Shahpur and Adchini, Malviya Nagar, South Delhi, Delhi."

(iv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2025 of the Protected Monument "Currency Building, Dahousie Square, District-Kolkata, West Bengal."

(v) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2025 of the Protected Monument "Metcalfe Hall, Strand Road, District-Kolkata, West Bengal."

(vi) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2025 of the Protected Monument "Vaikuntha Perumal Temple, together with adjacent land comprised in part of Survey plot No. 878/286, Uttiramerur, District-Kanchipuram, Tamil Nadu."

(vii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2025 of the Protected Monument "Shahjahan Baoli, Field No. 4834, Area-1 bigha pace, Tehsil-Gohana, District-Rohtak, Meham, Haryana."

(viii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2025 of the Protected Monument "The Residency Buildings and General Wali Kothi, Tehsil & District-Lucknow, Uttar Pradesh."

(ix) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2025 of the Protected Monument "Old fort, Lanji, District – Balaghat, Madhya Pradesh."

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Parliamentary Affairs for the year 2026-2027.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year 2026-2027.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 565 (अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय महाराष्ट्र के मुंबई (शहर), मुंबई (उप-नगरीय), थाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में पंजीकृत करदाताओं के लिए माह जुलाई, 2025 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 27 अगस्त, 2025 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 4204 जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत धारा 54 (6) के तहत उन व्यक्तियों, जिन्हें अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, की श्रेणी को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 4205 जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 2 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 4206 (अ) जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 121 के खंड (दो), (तीन), धारा 122 से धारा 124 और धारा 126 से 134 के उपबंधों को लागू करने के लिए 1 अक्टूबर, 2025 की तिथि नियत की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 765 (अ) जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 805(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 949 (अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर मूल्यांकन के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 (5) के अंतर्गत आपूर्ति को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 950(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) के मद संख्या (एक) से (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.बीसीसी:एचआरएम:118:09 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 9 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ:ईआरडी:पीडी:110:2026 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 9 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओडीएआर/1/2025-26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब एंड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/एचओ/एचआरडी/डीएसी/2025-26/01 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनबी/एचआरडी/डीएसी/डीएंडए/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआर-आईआर/184/01/2026(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएल/524/2025-2026 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सीओ/एचसीएम/डीएडी/2025-26/566(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.एचआरएंडपीआरडब्ल्यू आईआरवी आईआरएंडपीएस पीपी 18 2026(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/डीएम/01/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 20 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं.एचओ:एचआर:आईएल:25-26:982(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (भारत सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.897(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हीरक जयंती समारोह (साठ वर्ष) के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2026 जो दिनांक 16 जनवरी , 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.40(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 1 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/279 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 1 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/280 प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/254 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी /एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/284 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी /एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/285 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 2026 जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/291 में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) के मद संख्या (चार) से (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (समूह 'ग' कर्मचारियों की भर्ती, वेतन एवं सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 24 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि.918(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.91(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 31 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.85(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एनसीसीडी की प्रभावी दरें निर्धारित करने की मांग करना है।

(चार) सा.का.नि. 86(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय (i) मिश्रित सीएनजी में निहित बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस की मात्रा को, उस पर भुगतान किए गए उचित जीएसटी सहित, ऐसी मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना के उद्देश्य से ऐसी मिश्रित सीएनजी के मूल्य से छूट देने और (ii) अमिश्रित डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त शुल्क के कार्यान्वयन को 31 मार्च, 2028 तक स्थगित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन में ।

(पांच) सा.का.नि.87(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 5/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 82 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, उसमें उल्लिखित, सात अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 83(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 82(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क और दिनांक 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क में और संशोधन करना तथा कतिपय वस्तुओं पर लागू सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) और कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर (एआईडीसी) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्राबैक (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.32(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 33(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.34 (अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 25/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियम, 2026 जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. फेमा 8(आर)/2026-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियम, 2026 जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 23 (आर)/2026-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 6(R)/(4)/2025- आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा/396(4)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(11) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन[1] के पृष्ठ संख्या 174 और 175 में सुधार की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

.....

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5320(अ) जो 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 नवम्बर, 2025 को उक्त संहिता के लागू होने की तिथि निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 103 के अंतर्गत औद्योगिक संबंध संहिता (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2025 जो दिनांक 8 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5683(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि. 5792(अ) जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सीसा और जस्ता खनन उद्योग में कार्यरत सेवाओं को 17 दिसंबर, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

---

[1] वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 15 दिसम्बर, 2025 को सभा पटल पर रखे गए

(दो) सा.का.नि. 5795(अ) जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा परमाणु ईंधन और घटकों, भारी जल और संबद्ध रसायनों और परमाणु ऊर्जा के विनिर्माण या उत्पादन में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 28 दिसंबर, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 5794(अ) जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा बैंकिंग उद्योग में कार्यरत सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 15 दिसंबर, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(4) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2026-2027 के लिए वित्तीय अनुमान और निष्पादन बजट (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

.....

माननीय सभापति : आइटम नंबर 8, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2024-2025.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (DR. SUKANTA MAJUMDAR): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Delhi University (Amendment) Statutes, 2023 (Hindi and English version) published in Notification No. F.No.4-1/2023-CU.II in Gazette of India dated 19th October, 2023 under sub-section (5) of Section 32 of the Delhi University Act, 1922.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 943(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से हटाना) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 940(अ) में प्रकाशित हुए थे।

.....

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1203 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जायेगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जायेगा।

.....

… (व्यवधान)

Re: Need to expedite approval and execution of proposed Banspani-Barbil railway line project in Keonjhar Parliamentary Constituency

SHRI ANANTA NAYAK (KEONJHAR): Joda Banspani railway station is an important railhead located on the Padapahar Junction–Jakhapura section of Indian Railways, and regular trains such as the Barbil–Puri Express pass through this station. However, despite close geographic proximity, there is no direct rail connectivity between Banspani (Joda region) and Barbil station at present. Passengers travelling between these two important locations are compelled to take a long detour via Danguapasi section in Jharkhand, which adds approximately 60–70 km of extra distance, resulting in avoidable delay, inconvenience, and higher travel cost. This circuitous routing also limits the efficiency of passenger movement and mineral transportation in the region. In view of the above, a new Banspani–Barbil railway line (approx. 17 km) has been proposed and included in the principal project list of Indian Railways through Odisha Rail Infrastructure Development Ltd. (ORIDL). Early approval and execution of this project will significantly improve regional connectivity, passenger convenience, and economic development of the Joda–Barbil mining belt.

(ends)

Re: Need to formulate an employment scheme for urban areas on the lines of MGNREGS

श्री गणेश सिंह (सतना) : शहरी क्षेत्रों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन अत्यंत आवश्यक है। मई 2025 में जारी नवीनतम PLFS के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.9% रही है। यह पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में कमी को दर्शाती है, किंतु स्पष्ट करती है कि शहरी युवाओं, विशेषकर असंगठित एवं अकुशल वर्ग के लिए पर्याप्त और सुरक्षित रोजगार अवसर अभी भी सीमित हैं। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक उल्लेखनीय पहल है। 18 से 60 वर्ष की आयु के शहरी निवासियों को प्रति वर्ष 100 दिन का गारंटीशुदा, श्रम-आधारित रोजगार प्रदान करती है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक संपत्तियों का रख-रखाव, निर्माण से जुड़े कन्वर्जेन्स कार्य तथा सेवा-आधारित गतिविधियों शामिल है। यह योजना शहरी गरीबों को न केवल आय का स्रोत उपलब्ध कराती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है तथा शहरों के सतत विकास में योगदान देती है। अतः यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार इस मॉडल का अध्ययन कर, मनरेगा की तर्ज पर एक राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना पर विचार करे, जिससे बेरोजगारी को कम कर गरिमामय और संरचित रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।

(इति)

Re: Need to start excavation work in the closed Dolomite mines in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा (छोटा उदयपुर) : मैं गुजरात राज्य के अपने संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर की एक अत्यंत गंभीर एवं जनजीवन से जुड़ी समस्या की ओर माननीय सदन तथा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। छोटा उदयपुर जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ डोलोमाइट की खदानें ही प्रमुख औद्योगिक गतिविधि का आधार रही हैं। इन खदानों पर स्थानीय आदिवासी समुदाय की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। डोलोमाइट पाउडर निर्माण से जुड़ी 100 से अधिक फैक्ट्रियाँ यहाँ कार्यरत थीं, जिनके माध्यम से हजारों श्रमिकों को नियमित रोज़गार प्राप्त होता था। इन खदानों से प्रतिदिन लगभग 300 स्थानीय ट्रकों द्वारा गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में कच्चे माल की आपूर्ति की जाती थी। वर्तमान में डोलोमाइट खदानों के बंद होने के कारण इस उद्योग से जुड़े 15,000 से अधिक श्रमिक बेरोज़गार हो चुके हैं। में केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर डोलोमाइट खदानों को पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि प्रभावित श्रमिकों को पुनः रोज़गार मिल सके और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ फिर से सुचारु रूप से चल सकें।

(इति)

Re: Need to develop 'Energy Self Reliant' Villages in Jabalpur Parliamentary Constituency

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण करते हुए जबलपुर क्षेत्र में ऊर्जा स्वावलंबी ग्राम विकसित किए जाएँ। जिसमे सौर ऊर्जा, बायो गैस एकीकृत रूप से अपनाकर ग्रामों को आत्मनिर्भरता के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। इसमें प्रत्येक घर सौर ऊर्जा से संचालित हो, जो पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत्तों पर सौर ऊर्जा, प्रत्येक ग्राम में केंद्रीयकृत बायो गैस संयंत्र स्थापित हो तथा प्रत्येक रसोई घर तक गैस की अपूर्ति सुनिश्चित हो। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण युवकों को सौर, बायो गैस उपकरणों का रखरखाब व सुधार में प्रशिक्षित कर स्पेयर पार्ट्स युक्त कार्यशाला की स्थापना हो, जिससे स्थानीय रोजगार मिल सके। सामुदायिक सहभागित्ता और उत्तर दायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा स्वावलंबी ग्रामों के लिए वार्षिक पुरस्कारों की व्यवस्था हो। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि नवीकरणीय ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का अभिसरण करते हुए ऊर्जा स्वावलंबी ग्राम मॉडल को अपनाकर आत्मनिर्भर, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सतत तथा आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।

(इति)

Re: Need to make the provision to bring back the mortal remains of the deceased workers to their home State under Ayushman Bharat Scheme

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : मैं सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के हजारों लोग अपने रोजी रोटी के लिए गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आँध्रप्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली सहित विभिन्न प्रदेशों में काम करने जाते हैं हैं परन्तु ईश्वर न करे जब वहां उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका पार्थिव शरीर गृह स्थान लाने के लिए अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अर्थ भी खर्च होता है, ऐसी दुःख की परिस्थिति में उनका परिवार यह खर्च वहां करने की स्थिति में नहीं होता है! माननीय प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना "आयुष्मान भारत" देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ उपचार हेतु वरदान सिद्ध हो रही है, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का उपचार वर्ष भर में मुफ्त होता है। मैं सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस हेतु कोई योजना बनाई जाय अथवा आयुष्मान भारत योजना में ही इसे भी सम्मिलित किया जाय ताकि श्रमिकों का पार्थिव शरीर सम्मान सहित उनके घर तक पहुंचाया जा सके।

(इति)

Re: Need for creation of 'Sanitation Champion' posts under Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Sir, I would like to bring to your notice that under the Swachh Bharat Mission (Gramin), important infrastructure such as bell carts for waste collection, waste segregation facilities, and compost pits have been created in Gram Panchayats across the country. However, due to inadequate manpower, many of these facilities are not fully operational, thereby affecting the effectiveness of rural sanitation efforts. In this context, is the Government considering the creation of a “Sanitation Champion” post — individuals, often community leaders , recognized for driving significant improvements in hygiene, waste management, and toilet access — for every 500 people under the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Scheme and what steps does the Government propose to take to ensure that this initiative not only strengthens the implementation of Swachh Bharat Mission (Gramin) but also generates meaningful employment opportunities in rural areas.

(ends)

Re: Need to expedite operationalization of AIIMS Satellite Centre at Balasore in Odisha

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): I rise to draw the attention of the House to a matter of urgent public importance concerning healthcare delivery in Northern Odisha and adjoining districts of West Bengal and Jharkhand. Despite various efforts and repeated assurances from the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, and the corresponding State Health & Family Welfare, Department of Odisha, the much touted AIIMS Satellite Centre at Balasore remains non-operational in its full capacity for several years. This delay has deeply affected the expectations of lakhs of people who depend on an affordable, accessible, tertiary-care institution in this region. Balasore exposed frequent cyclones floods and climate-linked health risks. Yet, due to the lack of fully functional emergency, super-specialty and inpatient services, patients are compelled to travel long distances to Bhubaneswar or Kolkata for advanced treatment, often at unbearable cost and delay. To fully realise the purpose of this institution, the remaining components such as specialist services inpatient wards, diagnostics, emergency and trauma care, need to be made operational at the earliest. I therefore urge the Government to take a holistic time-bound approach and direct the concerned Central and State ministries to immediately complete all remaining formalities, deploy sanctioned staff, and operationalise AIIMS Balasore in full strength. A firm date for its inauguration must be fixed without further delay. With strong broadband and telecommunication networks already in place, this centre is well-positioned to act as a medical hub for tele-consultation and digital health services across PHCs and district hospitals in Northern Odisha.

(ends)

Re: Need to address the problems being faced by Tuberculosis (TB) patients and restart the movement to eradicate TB completely in the country

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhijan is Hon'ble Prime Minister's most ambitious and successful health mission. The core idea is to turn this fight against TB into a people's movement. Major role played by Nikshay Mitra (individuals, NGO's, companies etc…) The TB patients get minimum of 6 months to 12 months nutritional food and other support. Challenge was to break the stigma in the society. My humble request to the Government of India for financial assistance to all district level units to follow the test again and get the exact repost or status of TB patients. The concern is because of stigma and discontinuation of medicines TB is occurring again. If we can run the campaign again as Sampurna TB Mukta Bharat then we will be able to eradicate TB completely from the society.

(ends)

Re: Need to include Jalgaon in Maharashtra in City Economic Regions and also implement Sponge city Pilot Project in the city

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित City Economic Region (CER) Programme के संदर्भ में अपने संसदीय क्षेत्र जलगांव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय निवेदनपूर्वक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टियर-11 एवं टियर-III शहरों को देश के भावी आर्थिक विकास के सशक्त केंद्रों के रूप में विकसित करना है। जलगांव अपनी कृषि-आधारित औद्योगिक संरचना, सशक्त MSME नेटवर्क तथा अनुकूल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के कारण CER की परिकल्पना के पूर्णतः अनुरूप है। यदि जलगांव को ₹5,000 करोड़ के CER Programme के आगामी चरण में Challenge Mode के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो एकीकृत एग्रो-इंडस्ट्रियल गतिविधियों को संगठित्त विस्तार मिलेगा। फाइबर ग्रेडिंग केंद्रों, खाद्य तेल परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा साझा औद्योगिक अवसंरचना से स्थानीय MSMES की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ़ होगी। साथ ही, Corporate Mitras की अवधारणा के अनुरूप Professional Services Hub से डिजिटल लेखांकन एवं GST अनुपालन में उद्यमों को प्रभावी सहयोग प्राप्त होगा। बजट में जलवायु अनुकूल अवसंरचना पर दिए गए बल के अनुरूप जलगांव में Sponge City Pilot Project से वर्षा-जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण एवं भू-जल पुनर्भरण को मजबूती मिलेगी। जलगांव City Economic Region के सभी मानकों को पूर्ण करता है, अतः इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना जनहित में होगा।

(इति)

Re: Need to declare Sonewani region in Balaghat in Madhya Pradesh as a Conservation Reserve

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : आज मैं इस सदन का ध्यान मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित प्रस्तावित सोन्नेवानी कन्जर्वेशन रिजर्व की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सोनेवानी क्षेत्र में लालबर्रा, वारासिवनी एवं कटंगी परिक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो सघन मिश्रित वनों, ऊँचे पहाड़ों ओर घाटियों से युक्त हैं। यहाँ बारहमासी प्राकृतिक और कृत्रिम जलस्रोत उपलब्ध हैं, जो इसे वन्यजीवों के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास बनाते हैं। यह क्षेत्र कान्हा-पेंच वन्यजीव कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बाघों सहित अनेक वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36A के अंतर्गत कन्जर्वेशन रिजर्व का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के बीच जैविक संपर्क बनाए रखना है। सोनेवानी में मानव आबादी कम और जैविक दबाव न्यूनतम है। शाकाहारी और मांसाहारी वन्यजीव यहाँ पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। कन्जर्वेशन रिजर्व बनने पर स्थानीय जनता की लघु वनोपज संग्रहण सुविधाएँ यथावत रहेंगी। इसके साथ, इको टूरिज्म और संरक्षण गतिविधियाँ स्थानीय रोजगार बढ़ाएंगी और मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व में कमी आएगी। अतः में माननीय मन्त्री जी से आग्रह करती हूँ कि सोनेवानी क्षेत्र को शीघ्र कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाए।

(इति)

Re: Need for strict monitoring of sugar content in baby foods and soft drinks along with mandatory labelling and Pictorial warning on added ingredients to safeguard public health

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): The issue of elevated sugar levels in baby foods and soft drinks in India, many of which exceed WHO guidelines is a key concern we should act on. The World Health Organization recommends limiting free sugars to below ten percent of total energy intake for adults and children, ideally under five percent, and advises no added sugars in infant foods. Yet studies indicate some packaged baby foods contain around 2.7 grams of added sugar per serving, while several soft drinks average about 10.6 grams per 100 ml, contributing to rising obesity and diabetes risks among youth. The Government's initiatives, including the Fit India Movement and the proactive work of FSSAI in revising nutrition standards are commendable. To strengthen these efforts, I urge strict monitoring of added sugars in baby foods, soft drinks and appeal for the introduction of wider, bolder front-of-pack labelling regulations with clear pictorial or star-based warnings on sugar, salt, and fats. Prominent labels will empower consumers, encourage reformulation, discourage excessive consumption, and align India with global best practices. Such decisive steps will safeguard children's health, support informed choices, and advance our collective vision of a fit, healthy India for present and future generations. (ends)

Re: Need to expedite completion of doubling of Ernakulam-Ambalappuzha rail corridor and other railway projects in Kerala

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I rise to seek your urgent attention to a long-standing and critical infrastructure bottleneck in Kerala—the incomplete doubling of the Ernakulam Ambalappuzha rail corridor. This single-line stretch has remained a major choke point for over a decade, causing severe detentions, slow train movements, and disruptions to both passenger and express services. It is also to be noted that this is the only railway portion in the state of Kerala pending track doubling. Despite repeated promises and the inclusion in the 56th Network Planning Group meeting under the PM Gati Shakti initiative, no progress has been made. Currently, to facilitate execution, the project is divided into three sections, yet faces inexcusable delays: The Alappuzha-Ambalappuzha section estimate is prepared and sent to the preliminary examination committee, but final approval is pending. The Mararikulam-Thuravur section has its estimate prepared, yet awaits approval. The Alappuzha-Mararikulam section has not even begun process. Even earlier sanctioned Thuravoor-Kumbalam section has seen only a half progress on land acquisition. These varied but persistent obstacles have kept the work incomplete for years, denying Kerala the efficient rail network it desperately needs. I urge Hon'ble Minister to intervene personally, accord this project top priority and ensure completion without further delay.

(ends)

Re: Need to address the menace of micro-finance companies giving loan at exorbitant rate of interest in Bihar

श्री मनोज कुमार (सासाराम) : मैं केंद्र सरकार का ध्यान बिहार सहित देशभर में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा गरीबों पर किए जा रहे शोषण तथा अत्यधिक कर्ज के दबाव के कारण बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कंपनियाँ, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, महिला जैसे कमजोर वर्गों को आसान ऋण के नाम पर कर्ज के जाल में फँसा रही हैं। इनके अत्यधिक ब्याज दर, अमानवीय वसूली का दबाव और मानसिक प्रताड़ना के कारण गरीब लोग गहरे संकट में हैं। इन कंपनियों के उत्पीड़न से त्रस्त होकर बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में हजारो लोग आत्महत्या करने को विवश हुए हैं। हल के दिनों में बिहार कि प्रमुख घटनाये। इन कंपनियों के उत्पीड़न से त्रस्त होकर कैमूर में भभुआ थाना एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. सकरा, मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली, गुठनी, सिवान की एक महिला ने आत्महत्या कर ली, सहरसा के एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तथा दरभंगा की एक महिला ने आत्महत्या की। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के अत्यधिक व्याज दर, अमानवीय वसूली प्रक्रिया और शोषण, मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध कठोर नियमन किया जाए ताकि कर्जग्रस्त गरीब परिवारों को राहत प्रदान की जा सके तथा वसूली प्रक्रिया को मानवीय, पारदर्शी और कानून सम्मत बनाया जा सके। (इति)

Re: Need to enhance the salary coverage ceiling of ESIC to Rs. 25,000 and bring the state controlled ESIC dispensaries under direct ESIC management

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I wish to raise the following matter under Rule 377 regarding urgent reforms required in the Employees' State Insurance Corporation (ESIC). At present, the ESIC salary coverage ceiling excludes a large number of workers despite rising wages and cost of living. The ceiling must be immediately enhanced to ₹25,000 per month to expand social security coverage to low- and middle-income workers. Further, cashew workers and other seasonal employees are denied access to specialty and advanced medical treatment due to rigid minimum contributory day requirements, despite regular contributions during employment. Necessary relaxations and exemptions must be provided in view of the seasonal nature of their work. It is also necessary to bring ESIC dispensaries presently under State Government control directly under the ESIC Corporation to ensure uniform standards, adequate staffing and timely supply of medicines. Additionally, ESIC must acquire land and buildings for dispensaries operating in rented premises to improve infrastructure and patient care. I urge the Government to take immediate action on these issues in the interest of worker welfare and social security.

(ends)

Re: Need to promote labour-intensive industries and MSMEs to address the situation arising out of unemployment in the country

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): The growing challenge of unemployment in the country, including the State of Telangana, continues to adversely affect youth, women and educated job seekers. As per the latest Periodic Labour Force Survey (PLFS) monthly data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (April 2025), the all-India unemployment rate stood at 5.1% for persons aged 15 years and above. Alarmingly, youth unemployment (15–29 years) was much higher at 13.8%, with urban youth unemployment at 17.2%. Female youth unemployment in urban areas exceeded 23%, reflecting severe gender disparity in employment access. The situation in Telangana is particularly worrying, as PLFS trends indicate that urban unemployment in the State remains above the national average, especially among educated youth and first-time job seekers. Despite rapid urbanisation and growth in the services and IT sectors, quality job creation has not kept pace with the rising labour force, notably in Hyderabad and surrounding regions. Persistent unemployment and underemployment are causing economic distress, social insecurity and erosion of the demographic dividend, particularly among young people. I urge the Government to adopt targeted job-creation measures, strengthen market-aligned skill development, and promote labour-intensive industries and MSMEs, with special focus on youth and women in States like Telangana. (ends)

Re: Need to include Kalady-Malayattoor-Athirappilly-Kodungalloor-Azheekode-Muziris-Thirumoozhikulam Integrated Tourism Circuit under PRASHAD/Swadesh Darshan

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I wish to draw the attention of the Ministry of Tourism to the urgent need for including the Kalady–Malayattoor–Athirappilly–Kodungalloor–Azheekode–Muziris–Thirumoozhikulam Integrated Tourism Circuit under the Special Tourism Circuit Scheme of the Government of India. This circuit connects some of Kerala's most important spiritual, cultural, heritage and eco-tourism destinations, including the birthplace of Adi Shankara in Kalady, the St. Thomas pilgrimage centre at Malayattoor, Athirappilly Waterfalls, Kodungalloor Temple, Azheekode Beach, the historic Muziris heritage region, and the Thirumoozhikulam Lakshmana Temple. These sites span Ernakulam and Thrissur districts and have immense potential to boost international, domestic, and airport-linked tourism, especially with Cochin International Airport as the primary entry point. However, the region urgently requires integrated connectivity, including better coordination of NH-544/66, improved rail access, dedicated tourist shuttle services, and essential tourist amenities such as wayfinding, parking, sanitation, waste management, and heritage conservation. This integrated circuit will significantly enhance tourist experience, strengthen local livelihoods, and promote sustainable economic growth. I request the Ministry to approve this circuit, extend central financial assistance, and fast-track development under PRASHAD/Swadesh Darshan, in coordination with NHAI, MoRTH, and CIAL.

(ends)

Re: Increasing level of air pollution in Delhi-NCR and North India

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : मैं सरकार का ध्यान दिल्ली-एनसीआर तथा उत्तरी भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली-एनसीआर में PM 2.5 स्तर WHO की सीमा से 20 गुना अधिक पहुँच चुका है और AQI कई क्षेत्रों में 500 से 900 तक दर्ज किया गया है, जिससे जन-स्वास्थ्य पर संकट की आपात स्थिति बन चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार दिल्ली का वायु प्रदूषण प्रतिदिन 25 सिगरेट पीने के बराबर है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर इसका सबसे गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। लगभग 22 लाख बच्चों में फेफड़ों की क्षति देखी गई है और हर 3 में से 1 बच्चा शुसन कठिनाई से जूझ रहा है। समयपूर्व जन्म और कम वजन वाले शिशुओं के मामलों में भी वृद्धि हुई है। यह केवल वर्तमान का संकट नहीं, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है। GRAP व NCAP की लगातार विफलता, शुरुआती चेतावनी प्रणाली की गलत भविष्यवाणियाँ, तथा अरावली सुरक्षा में कमी ने संकट को और गहरा किया है। यह केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं कई बड़े शहरों में भी AQI खतरनाक स्तर पर है। इस स्थिति में COVID जैसी राष्ट्रीय टास्क फोर्स एवं उत्तरी भारत के लिए समग्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना तत्काल आवश्यक है।

(इति)

Re: Employment opportunities for B.Ed, B.P.Ed and BTC degree holders

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : उत्तर प्रदेश में बी.एड, बी.पी. एड. एवं बीटीसी डिग्रीधारक जो बेरोजगार है, उनके लिए सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए है तथा आगे क्या कदम उठाए जाएँगे?"

(इति)

Re: Need for introduction of women-centric schemes in national programmes of the country to promote inclusive growth and balanced economic development

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): I wish to draw attention of the House to the need for the Union Government to recognise, learn from and emulate the Bengal model of women's empowerment, which has delivered tangible and measurable outcomes, particularly for poor and marginalised communities. The Government of West Bengal has implemented pioneering womencentric schemes such as Kanyashree, improving girls' school retention and delaying early marriages; Lakshmir Bhandar, one of the first largescale direct income support schemes nationally, with women as primary beneficiaries, strengthening their financial autonomy and benefitting over 2.2 crore women; and Swasthya Sathi, providing universal, cashless health coverage with women designated as the head of the beneficiary family. Collectively, these initiatives have enhanced women's economic security, access to health, and role in household decisionmaking. This empowermentled governance model is also reflected in political representation: nearly 35 per cent of Members of Parliament from the All India Trinamool Congress are women, compared to about 14 per cent women members in the House overall, indicating a strong linkage between welfareled empowerment and leadership outcomes. I urge the Union Government to incorporate these core principles in national programmes and to support the replication of successful Stateled models in the true spirit of cooperative federalism.

(ends)

Re: Need to take comprehensive measures to prevent and address suicides committed by young persons in the country

DR. SHARMILA SARKAR (BARDHAMAN PURBA): India has among one of the highest suicides rates among youth globally. According to the NCRB Accidental Deaths and Suicides in India Report 2023, there has been a disturbing rise in suicides in India, particularly among the youth. Suicides among those up to 30 years of age account for around 40% of the total suicide burden in the country in 2023. In fact, suicides are the leading cause of death among the 15-29 age group. While family problems, love affairs and failure in exams were the top reasons for suicides among those under 18 years, family problems and illness accounted for the main reasons for suicides among the 18–30-year-olds. Despite the magnitude of this crisis, the Indian mental health ecosystem remains inadequate. India has just 0.75 psychiatrists and 0.12 psychologists per 1 lakh people, far below the WHO guidelines of 3 psychiatrists per 1 lakh people. Similarly, mental health accounts for only 1.05% of the total health spending, below the WHO recommended 5%. The lives of Indian youth must not be snuffed out early due to governmental apathy towards mental health. Hence, I request the government to urgently intervene to prevent further loss of lives.

(ends)

Re: Need to issue Standard Operating Procedure to run coaching institutes in the country and take stringent action against the Institutes charging exorbitant fees

DR. GANAPATHY RAJKUMAR P. (COIMBATORE): In the contemporary and competitive world, education plays an important role to achieve one's career to become a Doctor or Engineer for which the students and their parents are spending lot of money for coaching in a reputed institute. If a parent desires his child become a doctor in future, the child should join in a reputed coaching institute from 9th std onwards for proper acquaintance with expected pattern of questions so as to securing top rank and crack NEET (UG) confidently in the NEET Exam so that the child should attain the dream of become a doctor in the society. There are several coaching institutes imparting coaching to appear for NEET (UG) and JEE across the country and varies widely in fees depends on offering programs for different durations i.e. 1year or 2 years by charging exorbitant fees from the students ranging from 1 lakh to 4 lakhs annually for offline/online courses from aspiring doctors and gaining admission to the nation's most prestigious medical colleges. Further, even after paying the requisite fees to the coaching institutes, the aspiring students are subject to mental stress, pressure, harassment by the institute management by way of conducting classes at odd/long hours, tests/exam daily, daily homework and the students will not get enough time to take proper rest/sleep. Without proper sleep/rest, the students may subject to mental agony and psychological effect which leads to sometimes suicide also. There are so many students aspiring to become Doctors or Engineers committed suicide as reported in the print media across the country because of tortures by the coaching institutes. In view of the above, I urge upon the Union Govt to take strict actions against such coaching institutes and not to charge coaching fee exorbitantly and don't give much pressure on students to secure top ranks in the NEET(UG)/JEE exam to gain popularity of the institutes. Further, the Union Govt. must announce a SOP (Standard Operating Procedure) to run coaching institutes and follow the guidelines issued by the Government in respect of levy of coaching fees for the benefit of all students including poor and economically weaker students to get admission and proper coaching to become a Doctor/ Engineer in the society.

(ends)

Re: Need to develop infrastructure of the Government college of Music and Dance at Vizianagaram, Andhra Pradesh

SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM): I wish to draw the attention of the House to the urgent need for strengthening the infrastructure of the Government College of Music and Dance, Vizianagaram, Andhra Pradesh. Established on 5 February 1919 by the rulers of the Vizianagaram Samsthanam, it is the first music school in South India and a pioneering institution in the cultural history of our nation. For over a century, it has produced eminent musicians, scholars, dancers, and teachers who have contributed significantly to cinema, classical arts, and cultural heritage. Legendary figures such as Saluri Rajeswara Rao, Ghantasala, Suseela, Sangita Kalanidhi Nedunuri Krishnamurthy, and many others received training here. The college, which celebrated its centenary in 2019, now faces severe infrastructural deterioration. Immediate repairs to classrooms, modernization of the auditorium, and the construction of a building for the Alumni Association—comprising members in India and abroad—are urgently required. I urge the Government to take necessary steps to restore this historic institution to its rightful glory and ensure its continued service to Indian culture and the arts.

(ends)

Re: Need to take steps to increase number of enrolment of students in Nalanda University, Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : पुराना नालंदा विश्वविद्यालय भारत का गौरवशाली इतिहास का प्रतीक रहा है। भारत सरकार के द्वारा उद्घाटित नया नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में बहुत सारी धनराशि खर्च की गयी है साथ ही बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त में जमीन भी उपलब्ध करायी गयी। लेकिन स्थापना के 12 साल बाद भी विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 500 छात्र भी नहीं हैं। बिहार प्रदेश के तो इसमें 20 छात्र भी नहीं है। विश्वविद्यालय को अंतराष्ट्रीय स्वरूप देने एवं "विशिष्ट पहचान बनाये रखने के लिए मूल रूप से समावेशी शिक्षा की अवहेलना की जा रही है। जिसमें स्थानीयता को भी निश्चित रूप से तरजीह देनी चाहिए। विश्वविद्यालय की ऊँची फीस एवं भारतीय छात्रों के लिए स्कालरशिप का अभाव कई योग्य उम्मीदवार को प्रवेश लेने से वंचित कर देता है। सरकार से यह आग्रह है कि नालंदा विश्वविद्यालय में स्थानीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोर्सेज शुरू किए जाएं। साथ ही कर्मचारियों की भर्ती में भी नालंदा जिले के स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाए। भारतीय छात्रों को अधिक से अधिक स्कालरशिप का प्रावधान किए जाए। लोगों में यह विश्वविद्यालय आकर्षण का केंद्र भी है इसलिए प्रत्येक दिन एक विशेष समय के लिए पर्यटकों के लिए भी कुछ भाग में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

(इति)

Re: Need to reinstate the import duty and levy social welfare cess on Bengalgram (Chana) imported in the country

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): India is producing about 11.00 to 12.00 million Tons of Bengalgram (Chana) every year from the year 2019-20 i.e. more than 70% of total world production. Consumption requirement in our Country ranges from 10.00 to 10.50 million Tons per year. As such we are producing sufficient quantities of Bengalgram to meet consumption requirement. India is exporting and also importing Bengalgram every year. The present Tariff on Kabuli Chana is 30% lesser than previous Tariff and on Desi Chana is 50% lesser than previous Tariff. Prior to the year 2024 Social Welfare Surcharge (SWS) was levied on imports of Bengalgram. But after 01-05-2024 Bengalgram was exempted from the levy of SWS also. In Andhra Pradesh Bengalgram is cultivated mainly in Districts such as YSR Kadapa, Ananthapur, Kurnool, Nandyal, Prakasam and Palnadu. This season average cultivation is 3.7 Lakh Hectares. Lakhs of Tonnes of last year production are still in cold storages. Last year all the farmers sold their produce in a distress sale. Hence, I request the Government to reinstate the Import Duty and levy social welfare cess on Bengalgram and so that the farmers get a better price.

(ends)

Re: Need to allocate Rajasthan its share of Pong dam Water

श्री अमरा राम (सीकर) : राजस्थान राज्य, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, में पेयजल की भयंकर किल्लत है। हमारे राज्य का 13% क्षेत्र है, लेकिन मात्र 1.5% पानी है। पेयजल के लिए भयंकर समस्याओं से राजस्थान की जनता जूझ रही है। अभी राजस्थान कैनाल से 13 जिलों को पेयजल दिया जा रहा है तथा आधा दर्जन जिलों में सिंचाई सुविधा है। केंद्र सरकार ने 9वीं दशक में 6 MAF पानी इस शर्त पर पंजाब को दिया था कि जब राजस्थान नहर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो यह पानी राजस्थान को वापिस मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान नहर का कार्य पूर्ण हुए तीन दशक हो गए और अनेक जिले पेयजल के लिए तरस रहे हैं। 80% राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था भूमिगत जल स्तर पर थी, लेकिन आज 80% क्षेत्र में भूमिगत जल समाप्त हो गया है। अतः प्यासी जनता को पेयजल हेतु केंद्र सरकार राजस्थान के हिस्से का पानी अलॉट करके राजस्थान वासियो के साथ न्याय करेगी इस आशा के साथ सरकार से निवेदन है कि अतिशीघ्र ही पोंग डैम से राजस्थान के हिस्से का 6 MAF पानी अलॉट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर प्यासी राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने का काम करेगी।

(इति)

Re: Need to accord approval to the drinking water supply projects for Leh and Ladakh submitted by Ladakh Administration under Amrut 2.0

SHRI MOHMAD HANEEFA (LADAKH): I wish to draw the attention towards acute drinking water crisis faced by the UT Ladakh, particularly in its two main urban centres - Leh and Kargil towns. Rapid population growth, increasing urbanisation, rising tourism pressure, defence-related requirements, and the depletion of traditional water sources, reduced snowfall and shrinking glaciers have severely aggravated urban water stress. While the Jal Jeevan Mission focuses primarily on rural areas, the urban water needs of Leh and Kargil require immediate and parallel attention. Recognising this urgency, the UT Administration of Ladakh has prepared and submitted two major 24×7 drinking water supply projects for Leh and Kargil towns under AMRUT 2.0 to the Ministry of Housing and Urban Affairs. These projects have undergone detailed technical appraisal, have been examined by CPHEEO, and approved by the Apex Committee of AMRUT 2.0, but are currently pending final administrative approval at the appropriate level. These projects are of critical humanitarian and strategic importance, as they serve not only residents but also a large seasonal tourist population, defence establishments and essential services. I urge the Government to accord priority approval so that reliable and sustainable drinking water supply can be ensured for people of Ladakh at the earliest.

(ends)

सभा पटल पर रखे गए पत्र - जारी

माननीय सभापति : आइटम नंबर 7, माननीय श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम, 2026, जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.35(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025, जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3973(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5642(अ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 2.0 किलोमीटर तक के क्षेत्र को लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.5701(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.84(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास के क्षेत्र को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.109(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजौली (नवादा) वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 0.0 किलोमीटर से 4.965 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राजौली (नवादा) वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 119(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 238(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास शून्य से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(5) ग्रीन क्रेडिट नियमावली, 2023 के नियम (5) के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.592(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वृक्षारोपण गतिविधि के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए, उसमें उल्लिखित, कार्यप्रणाली को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

माननीय सभापति : आइटम नंबर 12, केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा।

… (व्यवधान)

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI RAHUL GANDHI): Sir, I would like to speak. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The name that is given is Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No. It is on the Budget. We will get it clarified. On Budget, the name that is given is Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

(1205/SNL/MNS)

SHRI RAHUL GANDHI: It was said that I will be allowed to speak.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): We will get it clarified. The name that is given is Dr. Shashi Tharoor on the Budget, please.

… (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Rahul ji, you start and then yield to … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The business that is given to me is Budget.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The LoP will be requested to speak, but the business right now is on Budget. It is the name given by the Party.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Party has given the name of Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The name has come from the Party.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. LoP, would you like to speak on the Budget?

SHRI RAHUL GANDHI: No … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Right now, the discussion is on the Budget.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Speaker allowed him … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The business that is given to the Chair is the discussion on the Budget and the name that is given to me is Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am repeatedly telling you what is given to me.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: LoP will be requested to speak, but the business right now is on the Budget and the name that is given to me is Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor, would you like to speak?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I will take the floor and yield it to the LoP. … (*Interruptions*)

1206 hours

(At this stage, Dr. M. K. Vishnu Prasad and some other hon. Members came and stood near the Table)

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1207 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/RV/SMN)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 12, केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा।

माननीय सदस्य डॉ. शशि थरूर जी।

… (व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम) : मैडम, एल.ओ.पी. को बोलने दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी केन्द्रीय बजट पर चर्चा होगी।

माननीय सदस्यगण, प्लीज़ आप सभी लोग बैठिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, I yield to the Leader of the Opposition to say his words and then, he will yield to me. … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, this is a Point of Order. Whenever discussion on the Budget starts, the Finance Minister should be there in the House. In the morning also, the Minister was not there. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़ आप सभी लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। वे नोट कर लेंगे।

प्लीज़ आप सभी लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़ आप सभी लोग बजट पर चर्चा कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं।

माननीय सदस्यगण, अब बजट पर चर्चा होगी। प्लीज़ आप सभी लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं।

माननीय सदस्यगण, प्लीज़ आप सभी लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, क्या आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते हैं? अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज़ बैठिए और बजट पर चर्चा कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य डॉ. शशि थरूर जी, प्लीज़ आप बोलिए।

… (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, it is a tradition of the House that the LOP can speak when he wishes to say something. He will yield to me after that.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोलिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप केवल बजट पर बोलना चाहते हैं?

ठीक है, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

विपक्ष के नेता (श्री राहुल गांधी) : मैडम, एक घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, members of the House went and Speaker committed to us, personally committed to us that I will be allowed to speak here and raise some points before the Budget discussion. Now, you are going back on your word. So, I would like to know if I am allowed to speak those points or not. … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : मैडम।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़ आप लोग बैठिए।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : मैडम, जब ये लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं तो रहने दीजिए, ये लोग अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम है कि आपका क्या विषय है। अगर किसी विषय पर नोटिस आएगा तो उसके बाद निर्णय होगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़ आप सभी लोग बजट पर चर्चा कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज़ शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : आप रिकॉर्ड को चेक कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है।

आप बजट पर चर्चा कीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): You are completely violating the Parliamentary conventions. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है।

आप सिर्फ बजट पर चर्चा कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : नेता, विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है। यह सदन की परम्परा रही है। हम लोग भी 20-20 सालों से सदन में हैं। मैं स्वयं देखता आया हूं कि हमेशा नेता, विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर मिलता है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, यहां कोई भी विषय बिना नोटिस के रख नहीं सकते। यह नोटिस के बाद का विषय है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य डॉ. शशि थरूर जी।

… (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor….

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : मैडम, राहुल गांधी जी ने कहा कि स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे। उसको मैंने भी ज्वायन किया और हम लोगों ने बातचीत की।… (व्यवधान)

(1405/MY/RP)

मैं इस चीज की पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाएं तो सदन चलना चाहिए। वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन की ओर से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन, उससे पहले हमने यह बात तय की कि आप किस विषय पर बात करेंगे। अगर आप स्पीकर के ऊपर एलीगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारी चीजें तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे, स्पीकर साहब ने ऐसा कहा।… (व्यवधान)

अभी राहुल गांधी जी ने जो कहा, वह हंड्रेड परसेंट सही नहीं है। स्पीकर साहब ने कमिटमेंट नहीं किया है। … (व्यवधान) स्पीकर साहब ने यह कहा कि अगर बातचीत बनती है तो आपको बोलने के लिए मौका देंगे और बाकी दलों के नेताओं को भी मौका देंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही मौका देंगे।… (व्यवधान)

आप सवाल करते हैं। अगर आप मेरी ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेगा, आप बताइए।... (व्यवधान) आप बोलना चाहते हैं। हम हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन, आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए, जिससे सदन की गरिमा गिरे, यह हमारा अनुरोध है।... (व्यवधान)

स्पीकर साहब ने यह कहा था कि अगर बात बन जाती है, सब आपस में तालमेल कर लेते हैं तो हाउस शांति से चलना चाहिए। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और फिर बाकी दलों के नेताओं की बात हम सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा, ऐसी बात हुई थी।... (व्यवधान) इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ। सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं तो अपनी बात रखें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं-नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने व्यवस्था दी है। प्लीज आप सब लोग बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य डॉ शशि थरूर जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सब लोग केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते ही नहीं हैं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 10 फरवरी, 2026 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1408 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।